



बिहार सरकार

**कार्यालय, कार्यलपाक पदाधिकारी, नगर पंचायत मखदुमपुर**

पत्रांक: 11.6.4....

फोन नं०: 06114-285518

दिनांक: 26/06/2018

ई-मेल: [npmkdp@gmail.com](mailto:npmkdp@gmail.com)

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत मखदुमपुर।

सेवा में,

विशेष सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार पटना।

विषय:- नगर पंचायत मखदुमपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 449/12-13 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक 1430 दिनांक 30.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के आलोक में कार्यालय पत्रांक 996 दिनांक 30.06.2018 से वरीय लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय वीरचन्द्र पटेल रोड पटना को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर भवदीय की सेवा में समर्पित की जा रही है।

विश्वासभाजन

MA  
26/9/18  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत मखदुमपुर।  
26/09

A-D/307

01.10.18

श्री. संतोष

1/11/18



# कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मखदुमपुर



पत्रांक: 904-996

फोन नं: 06114-285518

दिनांक: 30/6/2018

ई-मेल: npmkdp@gmail.com

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, मखदुमपुर  
सेवा में,

वरीय लेखा अधिकारी  
प्रधान महालेखाकार कार्यालय  
वीरचन्द पटेल रोड पटना।

विषय :- नगर पंचायत मखदुमपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 449/2012-13 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1430 दिनांक 30/06/2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 449/2012-13 का प्रतिवेदन तैयार कर भवदीय कि सेवा में समर्पित कि जा रही है जो निम्नवत है:-

| आरोप   | प्रतिवेदन  |
|--|--|
| कंडिका 9 नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा अनुदान पंजी ..... राशि की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल सका।  | अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है साक्ष्य संलग्न  |
| कंडिका 10 नगर पंचायत मखदुमपुर द्वारा योजनाओं ..... सही-सही पता नहीं किया जा सका।   | योजना पंजी का संधारण किया जा रहा है साक्ष्य संलग्न   |
| कंडिका 11 प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्धसरकारी पत्र b.c.w.c. 01/2008 सं० ..... प्रावधान अथवा वसूली नहीं किया गया।  | योजनाओं में श्रम सेस की कटौती की जा रही है।<br>नोट:-2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 तक  |
| कंडिका 12 बी०आर० एफ० मद के वर्ष 2010-11 के रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के जॉच ..... मखदुमपुर खाता सं० 31689062598 से राशि व्यय किया गया है (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-III पर)  | भविष्य में राशि का विचलन नहीं किया जा रहा है।  |
| कंडिका 13 (क) बन्दोबस्ती संचिका के जॉच में पाया गया कि दिनांक 20.05.2009 को ..... परन्तु शेष राशि रु. 15180.00 जमा नहीं किया गया।  | (i) विश्राम शर्मा के द्वारा 475.00 जमा करा दी गई है जिसका साक्ष्य संलग्न है।<br>(ii) सुशान्त कुमार के द्वारा राशि जमा नहीं किये जाने के आलोक में जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के पास Certificate case अंकित करा दी गई है। |
| कंडिका 13 (ख) बन्दोबस्ती संचिका के जॉच में पाया गया कि दिनांक 20.03.2010 को बोली गयी डाक में उच्चतम डाक बक्त ..... कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मखदुमपुर के पत्रांक 399 दिनांक 08.06.2010 के अनुसार श्री गौंधी यादव पर बकाया राशि निम्न थी। | गौंधी यादव, पिता-श्री कपिल देव यादव, फतेहपुर कुल बकाया 105530.75 के विरुध 50000.00 रूपया जमा किया गया है शेष राशि 01 माह के अन्दर जमा करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है साक्ष्य संलग्न।                             |
| कंडिका 13 (ग) बन्दोबस्ती संचिका के जॉच में पाया गया कि बोली गयी डाक के वक्ता श्री सुशान्त कुमार ..... द्वारा बन्दोबस्तदार को शेष बकाया राशि 94469.00 जमा करने हेतु निर्देश दिया गया।   | 2011-12 सुशान्त कुमार, पिता-श्री टोमन यादव, मखदुमपुर द्वारा नोटीस के वाबजुद राशि जमा नहीं करने की स्थिती में मो० 96916.00 जमा करने हेतु जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के पास Certificate केस अंकित कर दी गई है।            |
| कंडिका 14 (क) नगर पंचायत मखदुमपुर क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ को छोड़कर अन्य पथ से प्रवेश करने वाली वाहनों से प्रवेश शुल्क .....   | वाहन प्रवेश 2010-11 धर्मेन्द्र कुमार, पिता-बालमिकी शर्मा, पलेया के द्वारा मो०  |

|   |   |
|---|---|
| ..... के अनुसार श्री कुमार द्वारा 520209.00 के विरुध 510209.00 जमा किया गया शेष राशि 10000.00 जमा नहीं किया जा सका।   | 10000.00 जमा करा दी गई है साक्ष्य संलग्न।   |
| कंडिका 14 (ख) दिनांक 31.03.2011 को बोली गयी डाक में उच्चतक डाक वक्ता श्री रितेश कुमार, पिता-श्री देवेन्द्र नाथ सिंह, पलेया जहानाबाद को .....साथ ही उपर्युक्त राशि जमा करने हेतु उन्हें निर्देश दिया गया।  | श्री रितेश कुमार, पिता-श्री देवेन्द्र नाथ सिंह, पलेया के द्वारा मो0 232908.00 के विरुध 100000.00 जमा करा दी गई है साक्ष्य संलग्न।                                       |
| कंडिका 15 मकान कर वसूली के जॉच के क्रम में पाया गया कि गृह स्वामियों से मकान कर के रूप में मात्र 25.00 रू0 तथा 30.00 रू. की वसूली की गयी तथा शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर की वसूली नहीं ..... परिणामस्वरूप गृह स्वामियों पर कुल मकान कर का सही-सही पता नहीं चल सका। | मकान कर का निर्धारण विभागीय पत्रांक 2518 दिनांक 03.04.2017 द्वारा कर दी गई है के आलोक में मांग पंजी भी तैयार कराकर वसूली हेतु प्रक्रिया चालु है।                        |
| कंडिका 16 नगर पंचायत मखदुमपुर में दैनिक वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप कर संग्रहको द्वारा की गयी कुल राशि एवं उनकी जमा का सही-सही पता नहीं चल सका।  | दैनिक वसूली/स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जा रहा है साक्ष्य संलग्न।  |
| कंडिका 17 (क) भवन कर से संबंधित 'एच' रसीद से वसूल की गयी राशि ..... नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया।  | भवन कर द्वारा वसुली गई शेष राशि 17940.00 मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं0 1403 दिनांक 20.10.2012 को कर दी गई है साक्ष्य संलग्न।   |
| कंडिका 17 (ख) भवन कर से संबंधित 'एच' रसीद से वसूल की गयी राशि के जॉच ..... दिनांक 31.06.2011 से 02.07.2012 तक की अवधि में कुल 3565.00 वसूल किया गया, परन्तु उसे जमा नहीं किया गया।  | भवन कर द्वारा वसुली गई शेष राशि 3565 मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं0 1403 दिनांक 25.10.2012 को कर दी गई है साक्ष्य संलग्न।   |
| कंडिका 17 (ग) जमा लेखे के जॉच के क्रम में पाया गया कि 'एच' रसीद से भवन कर की वसूली विभिन्न कर संग्राहक द्वारा की गयी ..... नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-IV पर)  | श्री राजाराम प्रसाद द्वारा 23630.00 रू. मध्य बिहार ग्रामीण बैंक 1403 में जमा कार दी गई है साक्ष्य संलग्न।   |
| कंडिका 18 बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 के अनुसार ..... अतिरिक्त एंटिना पर दिनांक 31.03.2012 तक कुल 878000.00 Registration fee एवं वार्षिक renewal fee बकाया था।   | मोबाइल टावर मालिको से वसूली के लिए नोटीस भेजा गया है साक्ष्य संलग्न।  |
| कंडिका 19 लेखा परीक्षा के दौरान कुल 11 'एच' रसीद एवं 6 विविध रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-IV पर)  | साक्ष्य संलग्न  |
| कंडिका 20 योजना सं0 02/2011-12 योजना का कार्य कार्यादेश के छः माह के भीतर पूर्ण कर लेना था परंतु संवेदक द्वारा ..... संचिका में संलग्न नहीं था।   | कार्य धीमी प्रगति - लेखा पर वरसात में पानी भर जाने के कारण कार्य पूर्ण होने के विलम्ब हुआ इस संबंध में संवेदक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन दिया गया था साक्ष्य संलग्न। |
| कंडिका 21 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना अभिलेखो. के नमूना जॉच में पाया गया कि ..... राशि वसूल नहीं किया गया ध्यातव्य हो कि इन योजनाओं में समय विस्तार की अनुमति नहीं माँगी गयी थी (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-IV पर)  | विलम्ब निष्पादीत के लिए संवेदको के पास नोटीस निर्गत की गई है।   |
| कंडिका 22 नगर पंचायत मखदुमपुर द्वारा वर्ष 2011 में मे0 प्रखर इंटरप्राइजेज, पटना को ..... सामाग्री आपूर्ति करने का आदेश दिया।  | 2011 में बोर्ड मिटींग द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में सभी सामग्री क्रय की गई साक्ष्य संलग्न।  |

उपर्युक्त के आलोक में साक्ष्य की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जा रही हैं।

20

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, मखदुमपुर।

ज्ञापांक- 904 996

दिनांक 20.08.2018

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, न0वि0&आ0वि0 की सेवा में सादर सूचनार्थ समापित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, मखदुमपुर।